

क्रमांक एफ.2(1397)/सूप्रौ/संस्था/13/पार्ट-3/

जयपुर, दिनांक:

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर द्वारा रिट संख्या 17217/2015 में दिनांक 02.12.2015 को पारित आदेश की अनुपालना में, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट 12434/2013 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2024 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच में दायर अवमानना याचिका संख्या 1161/2016 के अनुसरण में राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 (समय-समय पर संशोधित) के नियम-28 के अन्तर्गत सूचना सहायक की सीधी भर्ती के लिए जारी विभागीय विज्ञापन क्रमांक एफ.2(1512)डीओआईटी/संस्था/13/1/6214/2013 दिनांक 25.04.2013 के क्रम में निम्नांकित अभ्यर्थी को प्रोविजनल रूप से अस्थाई आधार पर सूचना सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिये परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप नियत पारिश्रमिक रुपये 18500/- प्रतिमाह (Fixed Remuneration To Probationer Trainees, Corresponding Level-8) एवं अधोलिखित शर्तों पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से सशर्त नियुक्ति/पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	मेरिट नं.	नाम एवं पिता का नाम	जन्म तिथि	आवंटित श्रेणी	आवंटित कार्यालय/ पदस्थापन विभाग	विशेष विवरण
1	W-68	श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह	28-11-1989	Open-Open	संभागीय आयुक्त, जयपुर	रिक्त पद पर

नियुक्ति/पदस्थापन शर्तें :-

- अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि उपरोक्त अंकित पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी तथा नियमानुसार परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।
- परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
- परीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही सूचना सहायक के पद का **Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017** के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे-मैट्रिक्स **Level-08 (First cell)** का न्यूनतम वेतनमान 26300/- रुपये निर्धारित किया गया है एवं भत्ते नियमानुसार देय होंगे। कार्यग्रहण करने की रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार की जावे। एक प्रति संबंधित अधिकारी एवं दूसरी प्रति इस विभाग के विभागाध्यक्ष यथा **“शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, आई. टी. बिल्डिंग, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.) – 302005”** को सम्बोधित हो।
- यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन (पुलिस वैरिफिकेशन)/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर की जा रही है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी द्वारा पुलिस से चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- परीक्षा अवधि के सेवा के दौरान राजकीय यात्रा हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण की स्थिति में केवल माईलेज एवं अनुषांगिक प्रभार ही नियत/Fixed पारिश्रमिक पर ही देय होगा तथा स्थानान्तरण की स्थिति में सिर्फ वास्तविक यात्रा काल ही सेवा अवधि के लिये मान्य है।

लगातार.....

7. यदि सरकार की राय में उपरोक्त सूचना सहायक का कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि प्रकरण विशेष में सूचना सहायक होने की क्षमता नहीं है तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से तुरन्त विमुक्त कर दिया जायेगा।
 8. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
 9. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रूपए सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये प्रमाण-पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकेगी।
 10. अभ्यर्थी को नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस से पूर्व पदस्थापन स्थान पर कार्यभार सम्भालना होगा अन्यथा उक्त नियुक्ति/पदस्थापन आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
 11. परिवीक्षा काल में कोई वार्षिक वृद्धि देय नहीं होगी।
 12. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी भी प्रकार का किराया-भाड़ा या भत्ता आदि देय नहीं होगा।
 13. नियुक्ति पर पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू होंगे।
- यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(संजय जगदीश कर्णिक)

संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
5. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (पदोन्नति शाखा), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7. श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी:- प्लॉट नं.-82, शिवाजी नगर, शास्त्री नगर, जयपुर पिन कोड-302016 मोबाईल नम्बर-9024935356 ई-मेल:-dharmendra100_singh@yahoo.com, dharmendrabhav1@gmail.com को प्रेषित कर लेख है कि आप मूल दस्तावेज एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ **संभागीय आयुक्त, जयपुर** में उपस्थिति प्रस्तुत करें।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी